

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 10/2021-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 9 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 676 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

“3क	33012400, 33012510, 33012520, 33012530, 33012540	खड़े फलों के अलावा निम्नलिखित आवश्यक तेल, यथा:- क. पुदीना का (मेंथा पिपेरिटा); ख. अन्य मिंट का: स्पीयर मिंट तेल (एक्स मेंथा स्पीकाटा), वाटर मिंट-तेल (एक्स मेंथा एक्वेटिक), हॉर्समिंट तेल (एक्स-मेंथा साइलवेस्ट्रीज), बीरगामेंट तेल (एक्स मेंथा सिटरेट)।	कोई अपंजीकृत व्यक्ति	कोई पंजीकृत
-----	--	--	----------------------------	----------------

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा.सं. 190354/206/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधानअधिसूचनासंख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017,को सा.का.नि. 676(अ), दिनांक 28 जून, 2017,के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था,और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या11/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 मई, 2018, जिसेसा.का.नि. 504(अ), दिनांक 28मई, 2018,के तहतभारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशितकिया गया था,के द्वारा संशोधन किया गया था।